



## न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.कं. /2018 पुनरीक्षण II/मिगरनी/रीवा/भू.श/2018/1087

श्री मुकेश शर्मा मागो  
द्वारा आज दि. 6-2-18 को  
प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु  
दिनांक 21-2-18 नियत।

सुभा पुत्र रामकृपाल लोहार  
निवासी ग्राम पांती महतमान तहसील हनुमना  
जिला रीवा (म.प्र.)

..... आवेदक

जिले के जे.के. कोटे  
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर 218

विरुद्ध

1. मुस. कौशिल्या बेवा स्व. बहोरे पटेल
2. शिवबहोर पिता स्व. बहोरे पटेल
3. विजयशंकर पिता स्व. बहोरे पटेल
4. रमाशंकर पिता स्व. बहोरे पटेल

सभी निवासीगण ग्राम पांती महतमान  
तहसील हनुमना जिला रीवा (म.प्र.)

..... अनावेदकगण

न्यायालय अपर कलेक्टर जिला रीवा (म.प्र.) द्वारा प्रकरण  
कमांक 79/अपील/अ-66/2016-17 में पारित आदेश  
दिनांक 22.12.2017 के विरुद्ध म.प्र. वास स्थान दलखकार  
अधिनियम 1980 की धारा 50 के अंतर्गत पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक का निम्नानुसार निवेदन है कि :-

- 1- यह कि, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अवैध अनुचित तथा विधि के उपबंधों के प्रतिकूल होने से प्रथम दृष्टया ही निरस्त योग्य है।
- 2- यह कि, आवेदक ने अनुविभागीय अधिकारी तहसील हनुमना के समक्ष बास स्थान दखलकार अधिनियम (भूमि स्वामी अधिकारी का प्रदाय किया जाना) अधिनियम 1980 की धारा 6 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किया कि आराजी



44

**न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर**

अनुवृत्ति आदेश प्रपत्र

प्रकरण क्रमांक D/R/भूरज/रीवा/18/1087

सुदामा/भुस. कौशल्या

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
08/01/19	<p>आवेदक की ओर से श्री <u>भुकेश भागवत</u>  अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी कलेक्टर जिला <u>रीवा</u>  के प्रकरण क्रमांक <u>79/डीएल/3166/16-17</u> में पारित आदेश दिनांक  <u>22/12/17</u> के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भूराजस्व संहिता में  दिनांक 25-09-2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित  संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु  प्रकरण आयुक्त संभाग <u>रीवा</u> के न्यायालय को अंतरित किया  जाता है। उभय पक्ष दिनांक <u>23/04/19</u> को संभागीय आयुक्त  <u>रीवा</u> के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;"><u>सदस्य</u></p>	

*[Handwritten signature]*